# न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — **अन्तर सिंह नेहरा**
आई.ए.एस.

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 18/रिव्यू प्रा.पत्र/12 | 24.07.2012 | 16.06.2020 |

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

भंवरलाल, सीताराम पि0 गणपत, मंजू पुत्री गणपत,
रामप्यारी बेवा गणपत, जाति कीर,
निवासी ग्राम खटकड़, तहसील एवं जिला बून्दी

— अप्रार्थीगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

## निर्णय

यह रिव्यू प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी ने इस न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेफरेन्स प्रकरण संख्या 124/2010 में पारित निर्णय दिनांक 17.4.2012 के पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत कर, रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम खटकड़ के खसरा संख्या 220/1 रकबा 18 बिस्वा को कब्जे राज लेकर भू प्रबन्ध से पूर्व की किस्म गे.मु.तलाई राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने तथा अप्रार्थीगण के नाम की अवैध प्रविष्ठी को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब जर्ये नोटिस तलब किया गया तथा मूल रेफरेंस पत्रावली संख्या 124/रेफरेंस/2010 तलब की जाकर रिव्यू प्रार्थना पत्र के संलग्न की गई। अप्राथीगण के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से उनके विरूद्ध दिनांक 02.1.13 एवं 26.5.20 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलेक्टर; बून्दी

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि इस न्यायालय द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 124/2010 में पारित निर्णय दिनांक 17.4.12 में आर.आर.डी.2011 पेज 756 का हवाला देकर विवादित भूमि के मौके की वर्तमान स्थिति की जांच कर प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाये जाने पर, रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का आदेश पारित किया है। यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उक्त रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में पेश किया था, जिसमें वर्ष 1947 की स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाना है, न कि वर्तमान मौके की स्थिति के आधार पर। ऐसे में प्रकरण में वर्तमान स्थिति की मौका रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.04 के अनुसरण में उक्त निर्णय पर पुनर्विचार कर रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार किया जाकर प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफरेन्स किया जाना उचित प्रतीत होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। तहसीलदार बून्दी द्वारा आधारभूत तथ्य के साथ पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पेश किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में, प्रकरण में भूमि की वर्तमान मौका स्थिति के आधार पर नहीं, वरन् वर्ष 1947 की स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाना था, ऐसे में वर्तमान स्थिति की मौका रिपोर्ट लिया जाना आवश्यक नहीं है। उक्त निर्णय दिनांक 17.4.2012 के दौरान इस न्यायालय से उक्त महत्वपूर्ण तथ्य का विवेचन न हो पाने के कारण, उक्त रेफरेन्स प्रकरण के निर्णय में पुनर्विचार किया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बून्दी द्वारा पेश पुनर्विचार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रेफरेन्स मूल प्रकरण की पुनर्विवेचना की जाती है।

प्रकरण के संलग्न मूल रेफरेन्स संख्या 124/2010 पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2004 से 2008, मिलान क्षैत्रफल 2028 से 2047 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम खटकड़ की विवादित भूमि के पुराने खसरा संख्या **110/3** थे तथा वर्ष 1947 से पूर्व इस भूमि की किस्म **तलाई** अंकित थी एवं यह भूमि राजकीय भूमि थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा यह भूमि अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दी गयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के अनुसार नियम विरूद्व है। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं.

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै.मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र सं. 9213–9244 दिनांक 13.11.07 में भी ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त करने के निर्देश हैं। परिणामस्वरूप यह रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, मूल रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खटकड़ में विस्थित भूमि खसरा संख्या 220/1 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा में से 18 बिस्वा पर अप्रार्थीगण को दी गयी खातेदारी निरस्त कर भूमि पूर्ववत राजकीय सिवायचक किस्म गे.मु.तलाई दर्ज करने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेन्स किया जाता है। रिव्यू प्रार्थना पत्र फैसले में शुमार होकर मूल पत्रावली संख्या 124/रेफरेन्स/10 सहित राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस प्रकरण भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 16.06.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/6/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Antar Singh Nehra
Date: 2020.06.18 15:47:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: